

भाग-III
दरमीली, पिठाली – समर्पक मोटर का निर्माण
(हस्तान्तरण भूमि)
(प्रस्ताव संख्या FP/Uk/Road/8248/2014)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1- क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	हाँ प्रस्ताव के अनुरूप मार्ग की 2.00 किमी की लम्बाई तथा 7 मीटर चौड़ाई में बांज प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हाँ सहमत
3- विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशों।	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है, कि यदि याचक/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वृक्ष आदि किसी भी प्रजाति के प्रभावित होते हैं तो प्रत्यारोपण वृक्षों की लागत आदि का वहन स्वयं करेगा। अतः जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक 04-06-2018
स्थान-नैनीताल

(डॉ तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
~~वन संरक्षक,~~
दक्षिण कुमायूँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
~~नैनीताल.~~